भारत का विधि आयोग

सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 106 के संशोधन के बारे में

एक सौ इक्यासीवीं रिपोर्ट

मई, 2002

न्यायमूर्ति,
एम जगन्नाथ राव
अध्यक्ष

सत्यमेव जयते

भारत का विधि आयोग
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली-110001
दूरभाष: 3384475
निवास :
1, जनपथ,
नई दिल्ली -110011
दूरभाष : 3019465

9 मई, 2002

अर्ध० शा० सं० 6 (3)77/2002-एल०सी० (एल एस)

मैं इस पत्र के साथ "सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा 106 के संशोधन" पर एक सौ इक्यासीवीं रिपोर्ट अग्रेषित कर रहा हूँ।

2. यह उल्लेख किया जा सकता है कि 1998 में विधि आयोग ने धारा 52 : पर "सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम और इसके संशोधन" शीर्षक से अपनी एक सौ सत्तावनवीं रिपोर्ट अग्रेषित की थी। उक्त रिपोर्ट के कार्यान्वयन की प्रतीक्षा है। इसी बीच नोटिस की संगणना की अवधि से संबंधित मुकदमेबाजी कम करने और कतिपय निर्णयों में अभिकथित कतिपय कठोर सिद्धांतों को उदार बनाने के उद्देश्य से, जिनसे गम्भीर अन्याय और मुकदमेबाजी का बाहुल्य हुआ, जिनसे मुकदमेबाजों को प्राय: कठिनाईयां हुई, आयोग ने स्वमेव ही सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 106 के संशोधन का अध्ययन करना उचित समझा। 1954 के उ०प्र० अधिनियम संख्यांक 24 द्वारा धारा 106 में किए गए संशोधनों का निर्देश करते हुए हमने अन्य बातों के साथ-साथ इस बात पर भी जोर दिया है कि प्रस्तावित संशोधनों के फलस्वरूप वादी द्वारा जारी नोटिस, यहां तक कि यदि समय विहित अवधि से भी कम रह जाता है, परन्तु यदि वादी द्वारा इस धारा में विहित अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् वाद दायर किया जाता है, अविधिमान्य नहीं होगा। उन अभिधृतियों में, जो वार्षिक नहीं हैं, नोटिस की अवधि 15 दिनों से बढ़ाकर 60 दिन करने का प्रस्ताव किया गया है और यह भी स्पष्ट किया गया है कि अवधि की गणना नोटिस की प्राप्ति की तारीख से होगी।

3. सिफारिशें, देश में गम्भीर अन्याय को दूर करने और मुकदमें के बाहुल्य को कम करने की दृष्टि से की गई हैं। हम आशा करते हैं कि इस रिपोर्ट की सिफारिशें उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने में काफी सहायक सिद्ध होंगी। हम यह सिफारिश भी कर रहे हैं कि प्रस्तावित संशोधन लम्बित कार्यवाहियों पर भी लागू होंगे।

4. संशोधनों को विधायी रूप में देने के लिए इस रिपोर्ट के साथ एक विधेयक का प्रारूप भी संलग्न किया गया है।

सादर,

भवदीय,

(न्यायमूर्ति एम. जगन्नाथ राव)

श्री अरुण जेटली,
माननीय विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली।

विषय-सूची

पृष्ठ सं.

1. रिपोर्ट 1—4

2. विधेयक का प्रारूप 5

24 LJ&CA/05-2

सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 106 के संशोधन पर रिपोर्ट

1882 से, सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 106 के कतिपय शब्दों ने बहुत से मुकदमों को जन्म दिया है। धारा 106 का संशोधन दीर्घ काल से प्रतीक्षित है। वर्तमान रिपोर्ट का उद्देश्य, नोटिस की संगणना की अवधि से संबंधित मुकदमेबाजी को समाप्त करना और कतिपय निर्णयों में अभिनिर्धारित कतिपय कठोर सिद्धान्तों को, जिनसे गम्भीर अन्याय और मुकदमों का बाहुल्य हुआ, उदार बनाना है। वास्तव में, उत्तर प्रदेश राज्य में, 1954 के उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्यांक 24 के अधीन राज्य संशोधन से यह धारा बहुत पहले ही संशोधित कर दी गई थी। मूल अधिनियम में उसी प्रकार एक संशोधन, मुकदमेबाजों की होने वाली इस प्रकार की कठिनाई को दूर करने के लिए, देश के बाकी राज्यों में भी किया जाना है।

सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा 106 का पाठ निम्न प्रकार है :—

"106. तत्प्रतिकूल संविदा या स्थानीय विधि या रूढ़ी के अभाव में कृषि या विनिर्माण प्रयोजनों के लिए स्थावर सम्पत्ति का पट्टा प्रतिवर्ष का पट्टा समझा जाएगा जो पट्टाकर्ता या पट्टाधारी द्वारा 6 मास की ऐसी सूचना पर पर्यवसित होगा जिसका अवसान अभिधृति के वर्ष के अन्त के साथ होगा और किसी अन्य प्रयोजन के लिए स्थावर सम्पत्ति का पट्टा प्रतिमास का पट्टा समझा जाएगा जो पट्टाकर्ता या पट्टाधारी द्वारा 15 दिन की ऐसी सूचना पर पर्यवसित होगा जिसका अवसान अभिधृति के मास के अन्त के साथ होता है। "

"इस धारा के अधीन प्रत्येक सूचना लेखबद्ध होगी और उसे देने वाले व्यक्ति के द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित होगी और उस पक्षकार को जिसे बाध्य करना आशयित है या तो डाक द्वारा भेजी जाएगी या स्वयं पक्षकार को या उसके कुटुम्ब या नौकरों में से किसी एक को उसके निवास पर निविदत्त या परिदत्त की जाएगी या (ऐसी निविदत्ता या परिदत्ता साध्य नहीं है) सम्पत्ति के किसी सहजदृश्य भाग पर लगा दी जाएगी ।"

विवाद रेखांकित शब्दों के बारे में उत्पन्न होता है।

यह देखा जा सकता है कि प्रतिवर्ष होने वाले पट्टे के पर्यवसान के लिए अभिधृति के अन्त में अवसान होने से 6 महीने पहले ही पट्टाकर्ता या पट्टाधारी द्वारा नोटिस जारी करना होता है। प्रतिमास अभिधृति के मामले में अभिधृति के पर्यवसान के लिए अभिधृति के मास के अन्त में अवसान होने से 15 दिन पूर्व पट्टाकर्ता या पट्टाधारी द्वारा नोटिस जारी करना होता है।

बहुत से मामलों में, ऐसा होता है कि प्रतिमास अभिधृति के मामले में, एक पट्टाकर्ता या पट्टाधारी अभिधृति के पर्यवसान करने के लिए 15 दिन का नोटिस देता है। प्रतिवाद में यह तर्क दिए जाते हैं कि नोटिस इस अर्थ में त्रुटिपूर्ण है कि नोटिस की अवधि एक दिन कम है क्योंकि नोटिस देने वाले व्यक्ति ने **मांगी लाल** बनाम **सुगन चन्द,** ए.आई.आर. 1965 एस.सी. 101 मामले में स्वीकार किए गए इस आशय के सिद्धान्त को ध्यान में नहीं रखा है कि जिस दिन नोटिस तामिल किया गया है उसको गणना में नहीं लिया जाएगा। यद्यपि वह दिन अभिधृति पर्यवसान होने वाला दिन नहीं है। प्रत्येक मामले में नोटिस की विधिमान्यता के बारे में अवश्य ही मामला बनाया जाता है। वर्षों बाद नोटिस और वाद दायर करना, न्यायालय को नोटिस को अविधिमान्य घोषित करने को विवश करेगा यद्यपि प्रतिवादी के पास, वाद दायर किए जाने की तारीख तक या वाद खारिज करने के निर्णय की तारीख तक 6 महीने या 15 दिनों के विहित अवधि से अधिक समय उपलब्ध था।

कुछ अन्य मामलों में, अभिधृति प्रारम्भ होने की निश्चित तिथि के बारे में विवाद हो सकता है और इसलिए अभिधृति के पर्यवसान की तारीख के बारे में एक और विवाद उत्पन्न हो जाता है। मामला विवाद में रहेगा और यदि वादी द्वारा, चाहे वह पट्टाकर्ता या पट्टाधारी, अवधारित या जिसका उसने अभिवाक् किया है वह तारीख न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं की जाती है तब नोटिस अविधिमान्य हो जाता है यद्यपि प्रतिवादी के पास, वास्तव में, वाद दायर करने की तारीख तक या निर्णय की तारीख तक विहित अवधि से अधिक समय उपलब्ध था।

हम एक उदाहरण का निर्देश करते हैं। एक मासानुमास अभिधृति है जो 1 जनवरी, 2000 से शुरू हुई, अभिधृति के पर्यवसान का नोटिस 30-12-1999 को जारी किया गया और 1-1-2000 को तामील हुआ और नोटिस में कहा गया कि अभिधृति 15-1-2000 से पर्यवसित हो जाएगी। यदि उस दिन जिस दिन नोटिस तामील हुआ अर्थात् 1-1-2000 की उच्चतम न्यायालय के **मांगी लाल** बनाम **सुगन चन्द,** ए.आई.आर. 1965 एस.सी. 101 मामले में दिए गए निर्णय के अनुसार गणना न की जाए तो नोटिस की अवधि एक दिन कम रह जाएगी। बेदखली के वाद (कहना) 1-7-2001 को दायर किया गया है और हम यह मान लें कि प्रतिवादी ने यह अभिवाक् किया कि नोटिस की अवधि एक दिन कम थी। वाद का विचारण होगा और हम यह मान लें कि वाद अप्रैल, 2002 के खारिज किया जाता है। यद्यपि 31-12-1999 और 1-7-2001 के बीच या वास्तव में अप्रैल, 2002 तक, पट्टेदार के पास हटने के लिए कई महीनों का समय था परन्तु आज जो विधिक स्थिति है उसके अनुसार वाद खारिज कर दिया जाएगा। पट्टाकर्ता को ऐसी परिस्थिति में, 15-4-2002 के बाद धारा 106 के अधीन नया नोटिस जारी करते हुए फिर से नया वाद दायर करना पड़ेगा।

इस प्रकार की स्थिति तब भी उत्पन्न होगी यदि अभिधृति प्रारम्भ होने के लिए पट्टाकर्ता एक विशेष तारीख का अभिवाक् करता और पट्टाधारी दूसरी तिथि का और पट्टाधारी का अभिवाक् स्वीकार कर लिया जाता है। इस प्रकार की तकनीकी से वादी के साथ बहुत अन्याय हो रहा है यद्यपि प्रतिवादी पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे प्रश्न पट्टाधारी द्वारा पट्टाकर्ता के विरुद्ध दायर वाद में भी उठ सकते हैं।

धारा 106 के उपबंध का उद्देश्य, पट्टाकर्ता द्वारा अपने कब्जे के लिए वाद लाने से पहले पट्टाकर्ता और पट्टाधारी के संबंध को समाप्त करना है। अभिधृति अवसान होने तक उसे प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं है। इसके अतिरिक्त, अभिप्राय यह है कि प्रत्येक पट्टाधारी को परिसर खाली करने को कहने से पहले न्यायोचित नोटिस प्राप्त होना चाहिए।

यदि धारा 106 के यही उद्देश्य थे तो यह भी सच है कि पट्टाधारी के पास, वाद की तारीख तक या वर्षों बाद वाद के खारिज होने की तारीख तक, संविधि में विनिर्दिष्ट अवधि से अधिक समय था। यदि पट्टाकर्ता को नया वाद दायर करने के लिए विवश किया जाता है तो यह उसके प्रति अन्याय के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। कोई प्रक्रिया, जिससे न्यायालयों में मामलों की बाहुल्यता होती है उसे दूर किया जाना चाहिए।

यद्यपि प्रिवी काउंसिल ने विनिश्चय किया था कि नोटिस लम्बी अवधि के लिए हो सकता है (देखें **बेनॉय कृष्ण दास** बनाम **सेल्सीसिओनी,** ए.आई.आर. 1932 पी.सी. 279)। अन्य मामलों में उसने यह भी विनिश्चय किया कि "जहां नोटिस अपेक्षित अवधि से कम रहता है तो, मात्र यह तथ्य कि अभिधारी को वास्तव में, उस पूरी समयावधि के लिए सम्पत्ति पर कब्जा रखने की स्वीकृति होगी जिसके लिए नोटिस दिया जाना चाहिए था और उसके विरुद्ध बेदखली का वाद केवल बाद में लाया जा सकेगा, अभिधृति समाप्त करने के उद्देश्य से इसे प्रभावी बनाने के बारे में नोटिस के दोष को दूर नहीं कर सकेगा" (देखें **गुडरहम एण्ड रोटस् लिमिटेड** बनाम **कनाडियन ब्रोडकास्टिंग कॉरपोरेशन :** ए.आई.आर. 1949 पी.सी. 90)। **दात्तोपन्त** बनाम **विट्ठलराव :** ए. आई.आर. 1975 एस.सी. 1111 मामले के तथ्य निम्न प्रकार थे : 8 दिसम्बर, 1968 तक अभिधृति समाप्त करने के अभिप्राय से, अभिधारी को, अभिधृति का प्रारम्भ महीने के 9वें दिन से और पर्यवसान अगले महीने के 8वें दिन मानते हुए 21-11-1968 को नोटिस तामील किया गया। यह अभिनिर्धारित किया था कि अभिधृति के महीने की समाप्ति का 9वां दिन था न कि 8वां। इस प्रकार, यह अभिनिर्धारित किया गया कि संविदात्मक अभिधृति की वैध और विधिक समाप्ती नहीं हुई।

इसी प्रकार भारत के उच्चतम न्यायालय ने **माया चन्द तथा अन्य** बनाम **कृष्ण लाल डे तथा अन्य,** 1969 एस.सी. डब्ल्यू.आर. 478 मामले में विनिश्य किया कि कोई नोटिस, जो एक वर्ष या एक महीने की अभिधृति के अन्त तक जिसका अवसान नहीं होता है, अविधिमान्य होगा। उपर्युक्त निर्णय विशिष्टया धारा 106 का निदेश नहीं करता है लेकिन यह स्पष्ट है कि न्यायालय ने जब नोटिस को अविधिमान्य घोषित किया तब धारा 106 को ध्यान में रखा था।

यह मानते हुए कि व्याख्या की इस पद्धति से अन्याय होता है जो पट्टाकर्ताओं को वर्षों बीत जाने के पश्चात् और एक नया नोटिस देने के पश्चात् नया वाद दायर करने को विवश करती है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल ने, 1954 के उ०प्र० अधिनियम 24 द्वारा वे शब्द जिनका तात्पर्य अभिधृति के वर्ष की समाप्ति के साथ और अभिधृति के मास के साथ था, निकाल दिए गए हैं। उसने मासिक अभिधृति के मामले में 15 दिन के नोटिस की अवधि को बढ़ाकर 30 दिन कर दिया है। यह 30-11-1954 से प्रभावी बनाया गया।

उपर्युक्त उ०प्र० संशोधन के पश्चात् धारा 106 के पहले भाग का पाठ निम्नलिखित है :—

"तत्प्रतिकूल संविदा या स्थानीय विधि या रूढ़ी के अभाव में कृषि या विनिर्माण प्रयोजनों के लिए स्थावर सम्पत्ति का पट्टा प्रतिवर्ष का पट्टा समझा जाएगा जो पट्टाकर्ता या पट्टाधारी द्वारा 6 मास की ऐसी सूचना पर पर्यवसित हो और किसी अन्य प्रयोजन के लिए स्थावर सम्पत्ति का पट्टा प्रतिमास का पट्टा समझा जाएगा जो पट्टाकर्ता या पट्टाधारी द्वारा 30 दिन की ऐसी सूचना पर पर्यवसित होगा।"

उ०प्र० द्वारा संशोधित धारा और हमने जो संशोधन का प्रस्ताव किया है यह पट्टाकर्ता या पट्टाधारी द्वारा नोटिसों पर लागू होती है। इसलिए, हम प्रस्ताव करते हैं कि प्रतिवर्ष के पट्टे मामले में "जिसका अवसान अभिधृति के वर्ष के अन्त के साथ होगा" शब्दों को और प्रतिमास के पट्टे के मामले में "जिसका अवसान अभिधृति के मास के अन्त के साथ होता है" शब्दों को निकाल दिया जाना चाहिए।

हम उत्तर प्रदेश में 1954 के संशोधन के पश्चात अभिनिर्धारित किए दो मामलों का निर्देश करेंगे। यह अभिनिर्धारित किया था कि उ०प्र० में किए गए उपर्युक्त संशोधन के फलस्वरूप वादी द्वारा जारी नोटिस विहित अविधि के कम पड़ने पर भी अविधिमान्य नहीं होगा, परन्तु यह कि वादी द्वारा धारा में विहित अवधि के समाप्त होने के पश्चात् दायर किया है। उ०प्र० में संशोधित विधि के संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के (1980) के यू.पी.एल.टी. (एन.ओ.सी.) 11, मामले में निर्णय पर एक संक्षिप्त टिप्पण का पाठ निम्न प्रकार है :—

"धारा 106 (उ०प्र० अधिनियम द्वारा संशोधित रूप में)—वादी 30 दिन की अवधि समाप्त होने से दो दिन पूर्व उत्पन्न होने वाले वाद हेतुक का उल्लेख करते हुए दावा किया गया अनुतोष अविधिमान्य नहीं होगा, क्योंकि वाद तिथि के काफी समय पश्चात् दायर किया गया था।"

हम मूल अधिनियम की धारा 106 के संशोधन का प्रस्ताव करते हैं ताकि समान नोटिसों को विधिमान्य बनाए रखा जा सके। आयोग ने यह देखा है कि धारा 106 के अधीन नोटिस के संबंध में निर्दिष्ट अवधि के प्रारम्भ होने के बारे में उच्च न्यायालयों के विरोधाभाषपूर्ण दृष्टिकोण विद्यमान है। ऐसा ही विरोधाभाषपूर्ण दृष्टिकोण पर **गोरख लाल** बनाम **महा प्रसाद नरायण सिंह :** ए.आई.आर. 1964 इला० 260 (एफ० बी०) मामले में दर्शाया गया है। इसी प्रकार के विरोधाभाषपूर्ण दृष्टिकोण अन्य उच्च न्यायालयों में देखें जा सकते हैं। **मांगी लाल** बनाम **सुगन चन्द :** ए०आई०आर० 1965 सु०को० 101 मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि अवधि की संगणना में नोटिस तामील किए जाने की तिथि की गणना नहीं की जाएगी। हम इसे विधायी स्वरूप की आवश्यकता के अनुसार रखने का प्रस्ताव करते हैं क्योंकि 1965 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात् भी मुकदमेबाज, उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित सिद्धान्तों को ध्यान में रखे बिना, वाद दायर करते रहें हैं। अतः हम धारा 106 में संशोधन का उपबंध करते हुए सिफारिश करते हैं कि नोटिस के बारे में उल्लिखित अवधि की गणना नोटिस प्राप्ति की तारीख से की जाएगी। उपर्युक्त प्रस्तावों को

24 LJ&C/17/05-3

विधायी रूप में लाने के लिए एक विधेयक का प्रारूप, जो धारा 106 के संशोधनों को शामिल करता है, रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

इसके अतिरिक्त हम, ''अभिधृति के वर्ष के अन्त के साथ'' और ''अभिधृति के मास के अन्त के साथ'' शब्दों को निकालने का उस सीमा तक भूतलक्षी प्रभाव देने का प्रस्ताव करते हैं कि संशोधनकारी अधिनियम के प्रवर्तन की तिथि से पूर्व जारी किए गए सभी नोटिसों पर लागू होगा जहां ऐसे वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियां संशोधनकारी अधिनियम के प्रवर्तन की तिथि तक पट्टाकर्ता या पट्टाधारियों द्वारा दायर की गई हों जब तक कि वाद संशोधनकारी अधिनियम की तिथि से पूर्व दायर न किए गए हों और वाद या कार्यवाहियों को अन्तिम रूप से खारिज न कर दिया गया हो।

हम संशोधनकारी अधिनियम के प्रवर्तन के पश्चात् जारी होने वाले नोटिसों के संबंध में मासिक अभिधृतियों के मामले में ''पंद्रह दिनों'' के स्थान पर ''साठ दिन'' शब्द प्रतिस्थापित करने का भी प्रस्ताव करते हैं। किसी भी पक्ष के लिए नोटिस की यह अवधि न्यायोचित होगी। 15 दिनों की अवधि बहुत ही कम प्रतीत नहीं होती है।

हम यह भी सिफारिश कर रहे हैं कि प्रस्तावित संशोधन लम्बित कार्यवाहियों पर भी लागू हों।

हम आशा करते हैं कि एक बार इन संशोधनों के लागू हो जाने पर अनावश्यक मुकदमेबाजी समाप्त हो जाएगी और वादी को चाहे वह पट्टाकर्ता या पट्टाधारी हो, जिसने नोटिस जारी किया है, न्याय प्राप्त होगा।

अत: हम सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 में निम्नलिखित स्वरूप में संशोधन किए जाने की सिफारिश करते हैं। प्रारूप विधेयक रिपोर्ट के साथ संलग्न प्रारूप विधेयक के अनुरूप ही होगा।

हम तद्नुसार सिफारिश करते हैं।

ह०

(न्यायमूर्ति एम० जगन्नाथ राव)

अध्यक्ष

ह०

(डा० एन०एम० घटाटे)

सदस्य

ह०

(टी०के० विश्वनाथन)

सदस्य-सचिव

दिनांक : 09-05-2002

सम्पत्ति अन्तरण (संशोधन) विधेयक, 2002

सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 में और संशोधन करने के लिए एक विधेयक

संक्षिप्त नाम

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सम्पत्ति अन्तरण (संशोधन) अधिनियम, 2002 होगा।

धारा 106 का संशोधन

2. सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 (इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) में धारा 106 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुन:संख्यांकित की जाएगी, और—

(क) इस प्रकार पुन: संख्यांकित उपधारा (1) में ''छ: मास की सूचना पर जिसका अवसान अभिधृति के वर्ष के अन्त के साथ होगा और किसी अन्य प्रयोजन के लिए स्थावर सम्पत्ति का पट्टा प्रतिमास का पट्टा समझा जाएगा जो पट्टाकर्ता या पट्टाधारी द्वारा पंद्रह दिन की ऐसी सूचना पर पर्यवसित होगा जिसका अवसान अभिधृति के मास के अन्त के साथ होता है'' शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् —

''छ: महीने की सूचना और किसी अन्य प्रयोजन के लिए स्थावर सम्पत्ति का पट्टा, मासानुमास पट्टा समझा जाएगा जो पट्टाकर्ता या पट्टाधारी द्वारा साठ दिन की सूचना पर पर्यवसित होगा।''

(ख) पुन: संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अन्त:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् —

''(2) उपधारा (1) के अधीन कोई सूचना मात्र इसलिए अविधिमान्य नहीं समझी जाएगी कि उसमें उल्लिखित अवधि उस उपधारा के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि से अल्प रह जाती, कोई वाद या कार्यवाही उस उपधारा में उल्लिखित अवधि के अवसान के पश्चात् संस्थित की जाती है।

(3) उपधारा (1) के अधीन नोटिस में उल्लिखित अवधि नोटिस प्राप्ति की तारीख से प्रारम्भ होगी।''

अस्थायी उपबंध

3. पट्टाकर्ता या पट्टाधारी के बीच किसी भी संविदा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मूल अधिनियम की धारा 106 के उपबंध, यथा धारा (2) द्वारा संशोधित रूप में, लागू होंगे—

(क) उन सभी नोटिसों पर जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर लम्बित वादों और कार्यवाहियों की विषय-वस्तु हैं।

(ख) उन सभी नोटिसों पर जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पहले जारी किए गए हैं परन्तु जहां ऐसे प्रारम्भ की तिथि से पूर्व कोई वाद और कार्यवाहियां संस्थित की गई हैं।

परन्तु यह कि खंड (क) और (ख) के मामले में धारा (2) का खंड (क) इस आशय के संशोधन के अध्यधीन लागू होगा कि उसमें ''पंद्रह दिनों'' शब्दों के स्थान पर ''साठ दिन'' शब्द प्रतिस्थापित किए गए थे।

MGIPRRND—24 LJCA/05—75 Copies.

© Government of India
Controller of Publications

PLD.92.CLXXXI (H)
75—2005 (DSK–IV)

Price	:	Inland	:	Rs. 441.00
		Foreign	:	$ 9.55
				£ 5.49

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, MAYAPURI, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 2006